

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2014/आषाढ़ 20, 1936 No. 356] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014/ASADHA 20, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई , 24 जून, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) (संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 488(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्र सरकार के परामर्श से, विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 1/2000-आरबी) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम सुजित करता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) (संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 में, विनियम 4 में, उप-विनियम (ए) में, परंतुकों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे:

"बशर्ते कि -

(ए) उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित अथवा जारी नियमों अथवा विनियमों अथवा निदेशों अथवा आदेशों के उपबंधों के तहत, कोई निवासी व्यक्ति किसी प्राधिकृत व्यापारी से प्रति वित्तीय वर्ष 1,25,000 अमरीकी डालर तक अथवा अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट पूंजी खातेगत लेनदेनों हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट राशि तक विदेशी मुद्रा आहरित कर सकता है।

स्पष्टीकरण: समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावाली, 2000 की अनुसूची III की मद सं. 3 और 4 के अनुसार उपहार अथवा दान के बाबत विप्रेषण हेतु किसी निवासी व्यक्ति द्वारा आहरणीय विदेशी मुद्रा उक्त परंतुक (ए) में विनिर्दिष्ट सीमा में समाहित होगी।

(बी) जहां अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी पूंजी खातेगत लेनदेन के लिए किसी निवासी व्यक्ति द्वारा आहरित की जाने वाली विदेशी मुद्रा प्रति वित्तीय वर्ष 1,25,000 अमरीकी डालर अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट राशि, जैसा भी मामला हो, से अधिक होने पर, ऐसे लेनदेनों के संबंध में संगत विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमाएं लागू होंगी।

इसके अलावा यह भी कि परंतुक (ए) के अंतर्गत आहरित 125000 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा का कोई भी अंश प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में किन्हीं ऐसे देशों को विप्रेषित नहीं किया जाएगा जिन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) द्वारा, समय-समय पर, असहयोगी देशों और क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है और जिनके संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया गया है।"

[सं. फेमा. 311/2014-आरबी]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-मूल विनियमावली 5 मई 2000 के सा.का.िन. संख्या 384 (अ) द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 207(अ) दिनांक 23.03.2004

सा.का.नि. सं. 14(अ) दिनांक 05.01.2008

सा.का.नि. सं. 551(अ) दिनांक 14.08.2013

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th June, 2014

Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 488(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India, in consultation with Central Government, makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange

Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, (<u>Notification No. FEMA.1/2000</u>–RB dated May 3, 2000) namely:—

1. Short Title and Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, in regulation 4, in sub-regulation (a), for the provisos, the following shall be substituted:-

"PROVIDED that -

- (a) subject to the provisions of the Act or the rules or regulations or directions or orders made or issued there under, a resident individual may draw from an authorized person foreign exchange not exceeding USD 125000 per financial year or such amount as may be decided by Reserve Bank from time to time for a capital account transaction specified in Schedule I.
 - *Explanation*: Drawal of foreign exchange by resident individuals towards remittances of gift or donations as per item Nos. 3 and 4 of Schedule III to Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000 dated 3rd May, 2000, as amended from time to time, shall be subsumed within the limit under proviso (a) above.
- (b) Where the drawal of foreign exchange by a resident individual for any capital account transaction specified in Schedule I exceeds USD 125000 per financial year, or as decided by Reserve Bank from time to time, as the case may be, the limit specified in the regulations relevant to the transaction shall apply with respect to such drawal.

PROVIDED FURTHER that no part of the foreign exchange of USD 125000 drawn under proviso (a) shall be used for remittance directly or indirectly to countries notified as non-co-operative countries and territories by Financial Action Task Force (FATF) from time to time and communicated by the Reserve Bank of India to all concerned."

[No. FEMA. 311/2014-RB] C.D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 384 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:

G.S.R. 207 (E) dated March 23,2004

G.S.R. 14 (E) dated January 5,2008

G.S.R. 551 (E) dated August 14,2013.